न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–7/ विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) इटावा।
उपस्थितः सुनीता शर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. CODE : UP1700

प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं.–1117/2026

CNR No. :**UPEW010035412026**

लवकुश पुत्र कौशलेन्द्र यादव, निवासी न्यू कॉलोनी, रामनगर, थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी, जिला इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/अभियोजन

मुकदमा अपराध सं.–129/2026
धारा–119(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, 333, 324(4) भारतीय न्याय संहिता।
थाना–फ्रेण्ड्स कॉलोनी, ज़िला इटावा।

दिनाँक–11.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **लवकुश** की ओर से मुकदमा अपराध सं.–129/2026, धारा–119(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, 333, 324(4) भारतीय न्याय संहिता थाना–फ्रेण्ड्स कॉलोनी, ज़िला इटावा के मामले में ज़मानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता हिमांशु यादव का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का इस मामले में यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन कथानक पूर्णतः असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का वादी व उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा उसे गलत बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने बयान में अज्ञात व्यक्तियों की कोई पहचान का उल्लेख नहीं किया है। कथित घटना में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, वह निर्दोष है। वह दिनांक–15.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उसका प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। अतः याचना की गयी कि निर्णय पर्यन्त उसे प्रतिभू पर रिहा कर दिया जाये।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी गौरव कुमार द्वारा थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी में उपरोक्त अभियोग अभियुक्त कपिल, शैलेन्द्र, आशू व अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आशय का पंजीकृत कराया कि वादी अपने निवास से फास्ट फूड डिलीवरी का कार्य करता है। अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ कई बार गाली–गलौज उसके दरवाजे पर आकर की गयी है। दिनांक–13.05.26 को समय शाम करीब पौने पांच बजे वह मैनपुरी फाटक से अपने निवास पर स्कूटी से आ रहा था, तभी सूत मिल आवास विकास के परिसर में अभियुक्तगण कार से आये और उसे रुकने के लिये आवाज लगायी। वादी डर के कारण अपने घर की तरफ चला आया तो ये लोग उसका पीछा करते हुए गालियां देते हुए आ गये और उसके घर में घुसकर तमंचे की बट से उसकी मारपीट की तथा दरवाजे पर खड़ी उसकी स्कूटी को ईंट पत्थर से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों

Digitally signed by SUNEETA SHARMA
Date: 2026.06.24 08:25:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह प्राथमिकी में नामज़द नहीं है तथा दिनाँक–13.05.2026 से जेल में बन्द है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेग। अतः प्रार्थना की गयी कि दौरान मुकदमा ज़मानत पर रिहा कर दिया जावे।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) द्वारा ज़मानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज की गयी है तथा उसकी स्कूटी को क्षतिग्रस्त किया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा–119(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, 333, 324(4) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी को गाली गलौज कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व उसकी स्कूटी को क्षतिग्रस्त करना कहा गया है। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण आख्या में वादी को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियुक्त पर आरोपित उपरोक्त अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द नहीं है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दिनाँक–15.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के गुणदोष के आधार पर ना जाते हुए उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **लवकुश** की ओर से मुकदमा अपराध सं.–129/2026 धारा–119(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, 333, 324(4) भारतीय न्याय संहिता थाना–फ्रेण्ड्स कॉलोनी, ज़िला इटावा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000/–रूपये (पचास हजार रुपये) का स्वबन्धपत्र तथा समान धनराशि की **एक** प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की एक प्रति जरिये ई–मेल जिला कारागार इटावा प्रेषित की जाये।

दिनाँक–11.06.2026

(सुनीता शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–07, इटावा।
J .O. CODE : UP1700